[श्री एस० एस० अहलूवालिया]

विदेशों में, आपने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जो ग्रुप फारमूलेट किए गए थे उसमें इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सजेशन्स लिए गए हैं, फिर यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन आन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट आफ गुड्स 1980 का हवाला दिया है, पर मैं यह कहना चाहता हूं कि फॉरेन कंट्री में जहां पर 5 लेन, 6 लेन या 7 लेन के रोड हैं, उसमें एक परटिकुलर लेन जो है, वह सिर्फ कंटेनर के लिए होती है, उसमें सिर्फ कंटेनर मूव कर सकते हैं और बहुत फास्ट मूव करते हैं, उनके लिए कोई अड़चन नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती और बंदरगाह तक पहुंचने के लिए उनको एकदम ग्रीन चैनल मिलती है। क्या आपके पास कोई प्रावधान है ? क्या आपने ऐसी कुछ गुंजाइश की है ? हम तो अभी दो लेन के भी रोड नहीं बना सके। तो रोड कंडीशन जब तक नहीं सुधारेंगे तो सिर्फ कंटेनर में माल भरकर भेजने से हम कैसे उसमें द्रुत गति ला सकते हैं या कैसे उसको फास्ट कर सकते हैं ? सिर्फ इस बात के कि हमने उन्नति कर ली है। पहले बोरों में और लकड़ी के बक्सों में सामान बंधकर जाता था और उसको वहां जहाज पर लाद दिया जाता था और अब उसको कंटेनर में डालकर भेजा जाएगा और वह कंटेनर जहाज पर चढ़ जाएगा। इससे कितना फर्क हो जाएगा ? सबसे बड़ी जरूरत जो है, यह आपका कंटेनर सिस्टम, यह एयर, रोड, रेल और शिप लिंक है, इन चारों की ओर इन चारों में आप देखिये कि आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर कौन सा, कितना सुदृढ़ है और यह सिर्फ सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का काम नहीं है, इसमें रेलवे मिनिस्ट्री जुड़ी हुई है, इसमें सिविल एवीएशन जुड़ा हुआ है और तभी आप इसको सार्थक रूप दे सकेंगे। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि किन मजबूरियों के कारण इतनी जल्दी यह बिल लाने की कोशिश की गई और आर्डिनेन्स पास किया गया। यह एक अच्छा बिल है और इस बिल को लाने पर पूरा सोच-विचार करने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको लागू करने के साथ-साथ इस पर सोच विचार करेंगे और दूसरा, यह कन्टेनर जिस तरह हमको अभी पता चल रहा है, जितने भी सरकारी काम हैं वह किसी न किसी प्राइवेट कम्पनी को दिए जा रहे हैं। ..... (व्यवधान)"

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : Mr. Ahluwalia, if you don't mind, I would like to know how much time you will take because we have to take up the Special Mentions at 5-00.

SHRI S. S. AHLUWALIA : Is it at 5.00 or 5.30 ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : It is at 5-00.

SHRI S. S. AHLUWALIA : I will speak after the Special Mentions or tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : If the House gives its sense to continue after 5.30 after the Special Mentions, you can speak. If the House adjourns for tomorrow, you can speak tomorrow. Now we shall take up the Special Mentions.

Shri Satish Pradhan, Shri Kamal Morarka, Shri H. Hanumanthappa. Shri Maulana Obaidulaah Khan Azmi—absent. Shri S. S. Ahluwalia.

SPECIAL MENTIONS

PLIGHT OF SIKHS IN TERAI REGION OF UTTAR PRADESH

श्री एस०एस० अहलूवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश में रहने वाले सिखों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता चाहता हूं। उप सभाध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा कि पिछले साल पीलीभीत में तीर्थ यात्रियों की एक बस में से करीब 18 यात्रियों को उतारकर मार दिया गया था और वह सिख तीर्थ यात्री थे। हम एक डेलीगेशन में भी वहां गए थे और वहां जाकर उनका सारा ब्यौरा लिया गया था। यह

बस वहां-वहां, किस-किस तीर्थ स्थान पर दर्शन करने के लिए खासकर के गई थी — पटना साहिब, गुरू गोबिन्द सिंह जी के जन्म-स्थान पर, नान्देव, गुरू गोबिन्द सिंह के देह त्यागने के स्थान पर और उसके बाद ग्वालियर होते हुए वह लौटी थी। यह कह दिया गया था कि यहां कल कोई वारदात हुई थी इसलिए उन पर घेरा डाला गया था और वे एनकांउटर में मर गए। उपसभाध्यक्ष महोदय, बरामदगी के नाम पर उनसे बरामद की गई जो बन्दूक दिखाई थी वह 12 बोर की बन्दूक थी, जबकि हमें अच्छी तरह पता है कि विदेशी शक्तियां देश के आतंकवादियों को हर तरह के अस्त्र-शस्त्र से मदद कर रहीं है तथा वह कम से कम उनको 12 बोर की बन्दूक तो नहीं दे रहे है। लेकिन उस इलाके में इन 18 यात्रियों को बस से उतारकर मार डाला गया और 12 बोर की बन्दूक बरामद करके कहा गया कि इन्होंने पुलिस पर गोली चलाई थी, जो कि निराधार था। वहां के पुलिस अफसर, उप-सभाध्यक्ष महोदय, बहुत फेमस पुलिस अफसर हैं, जिन्होंने मलियाना कांड में मायनोरिटी कम्युनिटी के लोगों को मारकर बोरे में बांधकर नहर में फैंक दिया था और जिसके लिए उनको सस्पेंड भी किया गया था। वही पुलिस अफसर वहां पर पदस्थ थे। पुलिस का जो आतंक वहां दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है, उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं मान सकता हूं कि पंजाब में आतंकवादी खालिस्तान की मांग करते होंगे, मैं मान सकता हूं कि वहां पर विदेशी शक्तियों से मिलकर आतंकवादी अलगाववाद की बात करते होंगे, पर मैं यह नहीं मान सकता कि तराई के इलाके में कोई सिख बैठा अलगाव की बात कर रहा हो या खालिस्तान की मांग कर रहा हो। उप-सभाध्यक्ष महोदय, पिछले कई दिनों से वहां जो आतंक पुलिस ने फैला रखा है और वहां सिर्फ आतंक ही नहीं अब सरेआम जो शहर के गुन्डे और बदमाश हैं उनको स्पेशल पुलिस अफसर बनाया गया है और इनको हर तरह से बाडी गार्ड देकर, पी० ए० सी० की पूरी फौज देकर रखा जाता है। यह लोग बा-कायदा दहशत फैलाकर जो लैण्ड लॉर्डस हैं या जिनकी जमीन है और जिनके फार्म हैं उनको उठाकर लाकर उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और न मिलने पर उनको टंडा में बुक कर दिया जाता है। उप सभाध्यक्ष महोदय, इस बारे में एक महोदय का नाम लेना चाहता हूं जिनकी उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत पहुंच है। उनका नाम है पंडित गुरबचन लाल शर्मा, जो कि स्पेशल पुलिस आफिसर नियुक्त किए गए हैं यू० पी० सरकार की तरफ से और इनको बाकायदा पी० ए० सी० की पूरी गारद दी गई है इनकी रक्षा करने के लिए ..... (**व्यवधान**)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (Haryana) : I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : What is your point of order ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : उन्होंने अभी अपना ये विशेष उल्लेख करते हुए एक व्यक्ति का नाम लिया। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है और स्वयं को डिफेंड नहीं कर सकता, उसका नाम लिए बगैर उल्लेख तो किया जा सकता है, नाम लेकर उल्लेख नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है आप से कि कम-से-कम नाम लेने के लिए उन्हें मना करें और रिकार्ड से उनका नाम निकलवा दें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : I will look into the record.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : अब अगर क्रिमिनल लोगों का नाम भी सदन में नहीं लिया जाए तो विशेष उल्लेख करने का मतलब ही क्या है ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप देख लीजिए ..... (**व्यवधान**)

श्री एस० एस० अहलुवालिया : जो लोग सरेआम बदमाशी करें, सरेआम सरकार की

[श्री एस० एस० अहलुवालिया]
मदद से माइनोरिटी के, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को परेशान करें, उनका नाम लेने में ही यहां दिक्कत है तो यहां क्या करेगा आदमी ····· (व्यवधान) किसलिए विशेष उल्लेख करेगा ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप उस नाम को रिकार्ड से निकलवा दीजिए।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह मेरी बात नहीं है ·· (व्यवधान)

श्री विष्णु कांत शास्त्री : (उत्तर प्रदेश) : नियम एक होना चाहिए सबके लिए। जो नियम सबके लिए है वह उनके लिए भी होना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI) : Whatever names he has taken, on your request, I shall look into the record and if they are against the rules of the House..'(*Interruptions*)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (UTTAR PRADESH) : Unless a person is present in the House, his name should not be used or it requires a prior sanction... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : You cannot name any person. You cannot allege anything and everything against anybody. That person cannot come here and defend himself.

श्री एस० एस० अहलुवालिया : जो रोज यहां पर हर्षद मेहता का नाम लिया जाता था वह नहीं था ?

कानून सबके लिए बराबर बनाईए ····· (व्यवधान) मैं दूसरा नाम ले रहा हूं सुनिए ····

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : क्या नाम नहीं लेना चाहिए ? अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए ····· (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आरोपी और अपराधी में अन्तर है। आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह आरोपी है, अपराधी नहीं है। अगर वह कह रहे हैं तो दोषारोपण कर रहे हैं ····· (व्यवधान)

श्री एस० एस० अहलुवालिया : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं इनको बता देना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पंडित गुरु-बचन लाल शर्मा को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वह अपराधी नहीं है····· (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं जानती नहीं हूं इसलिए कह रही हूं।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : आप नहीं जानती हैं, मैं जानता हूं इसलिए कह रहा हूं।

श्री राम नरेश यादव : फिर क्यों कह रही हैं जब आप जानती नहीं हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : तभी तो कह रही हूं कि आरोपी हैं ··· (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगर केवल मुजरिम के नाते कहते कि मुजरिम है, हमें कोई एतराज नहीं होता। कहीं कोर्ट में केस होता तो भी एतराज नहीं होता। जब वह यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार से मिलीभगत कर रहे हैं इसका मतलब मोटिव साफ है कि एक आदमी को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। नाम नहीं लिया जाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी) : माननीय सदस्य की जो चिंता है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस हाउस की और इस सदन की परम्परा रही है कि व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किए जाते लेकिन संदर्भ बराबर बनाए रखने के लिए यदि किसी का नाम आता है तो मैं समझता हूं उसमें उनकी कोई इस तरह की इच्छा नहीं है कि किसी आदमी को अलग करके वे उसका नाम ले रहे हैं लेकिन संदर्भ के तहत

यदि नाम आ रहा है तो मैं समझता हूं कि इस हाउस की जो परम्पराएं हैं उस के खिलाफ यह बात नही है और माननीय सदस्य को इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए।

[اپ سبھاادھیکش (شری سید سبط رضی): مانئیے سدسیئے کی جو چنتا ہے اس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ اس ہاؤس کی اور اس سدن کی پرمپرا رہی ہے کہ ویکتیگت آکشیپ نہیں کئے جاتے لیکن سندربھ برابر بنائے رکھنے کے لئے یدی کسی کا نام آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں۔ اس میں انکی کوئی اس طرح کی اچھا نہیں ہے کہ کسی آدمی کو الگ کر کے وہ اس کا نام لے رہے ہیں لیکن سندربھ کے تحت یدی نام آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کی جو پرمپرائیں ہیں اس کے خلاف یہ بات نہیں ہے اور مانئیے سدسیئے کو اس بات کا برا نہیں ماننا چاہئیے۔]

श्री एस० एस० अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि वहां पर "टाडा" में जो डिटेंशन के लिए जितने लोग बंद किए जा रहे हैं, 118 आदमी बंद किए हैं उस इलाके में, उन 118 में 2 को छोडकर 116 आदमी सिख हैं और उन सिखों की उम्र क्या है? या तो वह 72 साल का बूढ़ा है, 75 साल का बूढ़ा है या 12 साल, 14 साल, 15 साल का नौजवान है और इनको बंद किया जा रहा है और "टाडा" का किस तरह से मिसयूटिलाइजेसन किया जा रहा है। वहां हरचरनसिंह बरार, जिनकी उम्र 72 साल है, उनको गिरफ्तार किया गया और कहां से गिरफ्तार किया गया जब कि वे वहां के इलाके के कांग्रेस प्रमुख के घर में बैठकर रात को मीटिंग कर रहे थे और वहां से सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उनके साथ-साथ दीनदयाल खुल्लर, जो वहां के ब्लाक प्रमुख हैं और कांग्रेस के वहां के लोकल प्रेजीडेंट हैं, उनके साथ-साथ सरदार मोहर सिंह जो वहां के प्रामीनेंट कांग्रेस लीडर हैं और उसके बाद ज्ञानी त्रिलोक सिंह, हरदयाल सिंह, त्रिलोचन सिंह इन सबको "टाडा में बंद कर दिया। वहां से उठाकर ले गए और ले जाकर पहले तो उनसे बारगेन करते रहे कि पैसे दो तब छोड़ते हैं।

जब पैसे नहीं दिए तब कहा कि टाडा बन्द कर दो ऐसा वहां पर हो रहा है। इसके साथ साथ में बी० जे० पी० के भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ मेरी आवाज नहीं है। जिस दिन उनको कोर्ट पेश किया गया वहां तमाम शहर के लोग, बाजपूर इलाके के हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब कचहरी में गए। सब ने मांग की कि ये लोग बेकसूर हैं इनको जबरदस्ती टाडा में बन्द किया गया है। पर उन्होंने कहा कि हमारे पास हेडक्वार्टर से आर्डर हैं। इनके आर० एस० एस० के प्रचारक चमन लाल पस्सी जो इत्तिफाक से बी० जे० पी० के एम० पी० के पिता हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह नाजायज किया जा रहा है। उसके बावजूद पुलिस का आतंक इतना बढ़ गया है कि गाव गांव में घुसकर उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। मैं यहां उनकी हिमायत नहीं कर रहा हूं जो सरेआम लोगों को गोलियां मार रहे हैं, मैं उनकी भर्त्सना करता हूं, निन्दा करता हूं लेकिन जो निर्दोष गरीब किसान हैं, उनकी हालत ऐसी है जैसे एक तरफ डेविल है और दूसरी तरफ डीप सी है, एक तरफ वे रात के अंधेरे में घरों में आकर उनको लूट लेते हैं, दूसरी तरफ दिनदहाड़े उनको पी० ए० सी० और पुलिस वाले लूट रहे हैं,

[ ]Transliteration in Arabic Script.

[श्री एस०एस० अहलुवालिया]

जेलों में डाल रहे हैं। इस अत्याचार को बंद करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि पूरे तराई इलाके में जुडिशल इंक्वायरी कराइए। वहां के सिख दिन ब दिन समाज से दूर किये जा रहे है, उनके पीछे क्या कारण है, क्या उनकी जमीन निकालकर उनको भगा देना चाहते हैं? उनको कहा जा रहा है कि या तो जेल में जाओ या अपना सिर मुडवा लो या नंगे पांव छोडकर पंजाब की तरफ रवाना हो जाओ। अगर यह अत्याचार बंद नहीं होगा तो वहां पर बगावत होने की आशंका है। इसके लिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार इस पर जरूर कुछ न कुछ कदम उठाए और एक हाइ पावर कमेटी बनाए। जो भी टाडा में बंद हैं, यू०पी० के जितने भी लोग टाडा के अंदर बद हैं, उनका रिव्यू करने की जरूरत है कि क्यों उनको रखा गया है। यही मैं सरकार से कहना चाहता हूं।

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, माननीय सदस्य श्री अहलुवालिया जी ने अपने विशेष उल्लेख के माध्यम से जो पुलिस आतंकवाद का प्रश्न उठाया है उससे मैं अपने को संबंद्ध करता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां भी यह बात यू०पी० में हुई है और गोली चलाकर निरीह लोगों की हत्या की जा रही है, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की ओर से इतने लोगों को टाडा में बंद कर दिया जाता है, यह उचित नहीं है। नौजवानों को जिनका कोई हाथ नहीं है उनको नाजायज पकड़ा जा रहा है, उसका परिणाम यह हो रहा है कि वहां नौजवानों में असंतोष फैलता है और वह मजबूर हो कर हथियार हाथ में ले लेते हैं। इसलिए ऐसे तमाम केसेज का रिव्यू करना चाहिए जो टाडा में पकड़े गए हैं। निर्दोष लोगों को तुरन्त छोड़ देना चाहिए।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उतर प्रदेश) : महोदय, मैं इस स्पेशल मैंशन से ऐसोसिएट कर रहा हूं। टाडा वाले मसले पर बार-बार सवाल उठाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां पर सरकार है, राजस्थान में भी वही हालत है····]†

شری محمد افضل عرف میم افضل
(اتر پردیش): مہودے میں اسپیشل مینشن
سے ایسوسی ایٹ کر رہا ہوں۔ ٹاڈا والے
مسئلے پر بار بار سوال اٹھایا گیا ہے کہ
بھارتیہ جنتا پارٹی کی جہاں جہاں پر
سرکار ہے، راجستھان میں بھی وہی حالت ہے

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिब्ते रजी) : आप अपने को इस स्पेशल मैंशन तक ही सीमित रखिए।

اپ سبھا ادھیکش (شری سید
سبط رضی): آپ اپنے کو اس اسپیشل
مینشن تک ہی سیمت رکھئے

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैं कह रहा हूं कि टाडा के अन्तर्गत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां गए हैं और आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको भी टाडा में बंद करेंगे?····]†

شری محمد افضل عرف میم افضل:
میں کہہ رہا ہوں کہ ٹاڈا کے انترگت
جس طرح سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے
لوگ وہاں گئے ہیں اور آتنک واد پھیلا
رہے ہیں، ان کو بھی ٹاڈا میں بند کریں گے

Need to Improve Deplorable conditions in Engineering Workshop, Southern Railways, Arkonam

SHRI T. A. MOHAMMAD SAQHY (Tamil Nadu) : **This Special Mention is**

[ ]Transliteration in Arabic Script.